न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 7/16 दायरा दिनांक 22.01.2016

आर.सी.एम.एस. नम्बर – 2016/00040

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनवान

सूरतसिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति बंजारा निवासी बकनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां – प्रार्थी

बनाम

1. घासी पुत्र गोपालसिंह जाति बंजारा निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. ओमी पुत्र गोपालसिंह जाति बंजारा निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
3. बुन्दा पुत्र गोपालसिंह जाति बंजारा निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
4. गीता पुत्री गोपालसिंह जाति बंजारा निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
5. रामकन्या पुत्री गोपालसिंह जाति बंजारा निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
6. दांखीबाई पत्नी गोपालसिंह जाति बंजारा निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां – अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री एम.आई. खान, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री घनश्याम गर्ग, अभिषाषक अप्रार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन अंतर्गत नियम 14(4)

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 07.09.1998 वांके ग्राम जगदेवपुरा ख.नं. 26 रकबा 5 बीघा

निर्णय दिनांक 28.06.2019

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के पिता को किया गया आवंटन ग्राम जगदेवपुरा तहसील किशनगंज में ख.नं. 26 रकबा 5.00 बीघा अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक होने से निरस्तनीय है।भू आवंटन कमेटी ने भू आवंटन नियमो व प्रवधानो की पालना नहीं की है ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्‌घोषणा चस्पा की है, इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के पिता को किया गया आवंटन प्रक्रिया के अभाव में गलत एवं अवैध होने से निरस्तनीय है।आवंटन भूमि वक्त आवंटन खाली नहीं थी वक्त आवंटन भूमि ओकूपाईड भूमि की श्रेणी में आती है इस कारण आवंटन निरस्तनीय है।आवंटन नियमो की पालना नहीं की गई आवंटन के प्रथम वर्ष 50

प्रतिशत तथा अगले वर्ष पूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है जो आवंटी ने उक्त शर्तो की पालना नहीं की इस कारण आवंटन निरस्तनीय है।उक्त आवंटन शुदा भूमि प्रार्थी के परिवार की आजीविका का साधन है यदि उसे उक्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो उसका परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जावेगा।आवंटन आदेश दिनांक 07.09.1998 की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 20.12.2015 को हुई उसी दिन प्रार्थी ने नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 23.12.2015 को प्राप्त हुई। अपील बिना किसी विलम्ब माफी हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, इस कारण अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2015 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावें। Meret पर Oder कर दिया जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि आवंटन के बाद गैर खातेदार/खातेदार है। राजस्व रिकार्ड नहीं की इनका कब्जा रहा हो, आवंटन के समय से कब्जा है। 2015 में हमारी भूमि पर कब्जा किया तो तहसीलदार ने 183(बी) आर.टी.एक्ट. के अन्तर्गत कार्यवाही की। सभी सहरिया परिवार के सदस्य हैं। सिलिंग सिवायचक भूमि थी राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कहा आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा है। सदैव से अपीलान्ट का कब्जा रहा है। बंजारा की जमीन है सहरियों को नहीं बैठा सकते।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावें। आवंटन अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक है। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नही की है, ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि आवंटन के बाद अप्रार्थीगण गैर खातेदार/खातेदार है। राजस्व रिकार्ड नहीं कि इनका कब्जा रहा हो, आवंटन के समय से कब्जा है। वर्ष 2015 में हमारी भूमि पर कब्जा किया तो, तहसीलदार किशनगंज ने अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट. के तहत कार्यवाही की। सिलिंग सिवायचक भूमि थी इसका कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का कब्जा रहा है। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 07.09.1998 को अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के पिता व पति गोपालसिंह पुत्र गुलाब जाति बंजारा निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज को ग्राम जगदेवपुरा की आराजी खसरा नं. 26 रकबा 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)